न्यायालय सहायक कलक्टर, पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह,आर.ए.एस.

1. वरदाराम पुत्र स्व. भोमाराम जाति माली निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा

.... वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र दलाजी जाति मालि निवासी काछोली व अन्य

.... प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या : 215/2015

उपस्थिति : –

1. श्री हरिश पुरोहित, अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रताप पुरोहित, श्री संजय अग्रवाल अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांक : 10/11/2020

–: आदेश :–

हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 33,37,38,39 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने वाद के पद संख्या एक में वर्णित अ,ब,स अनुसार कृषि भूमि को लेकर बंटवाड का दावा पेश किया है। धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार एक से अधिक भूमि आराजी में बंटवाड हेतु एक ही दावा किया जा सकता है किन्तु इसके पक्षकारान समान होने चाहिए। इस प्रकरण में वादीगण द्वारा अलग–अलग आराजी का एक ही दावा लगाया है और पक्षकारान समान न होकर अलग–अलग है अतः दावा खारिज होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब ना देकर बहस करनी चाही जिसकी अनुमति दी जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए वाद खारिज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:35 IST
Reason: SelfAttested

मांग की वंही अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अलग–अलग आराजी में जिसका जितना हिस्सा आ रहा है उतना बंटवाड किया जा सकता है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वाद के पद 1 (अ) में वर्णित कुल किता 12 रकबा 10–13 बीघा के प्रतिवादीगण, पद 1(ब) में वर्णित कुल किता 09 रकबा 23–15 बीघा के कुछ समान प्रतिवादीगण के साथ कुछ अलग–अलग प्रतिवादी भी है। पद 1 (स) खाता सं. 36 खसरा नं. 28, 36 व 113 किता 3 रकबा 7–00 बीघा के जमाबंदी में वादीगण खातेदार भी नहीं है। बावजूद वादीगण ने बंटवाड प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष पेश किया। वही पद 1 (अ) व पद 1(ब) में वर्णित आराजी में कुछ समान प्रतिवादीगण के अतिरिक्त कुछ अलग–अलग–प्रतिवादीगण भी है। ऐसी स्थिति में अलग–अलग प्रतिवादीगणों के जवाब, विवाद्यक, प्रतिवादी साक्ष्य का कोर्ट के समक्ष अलग–अलग आना सुनिश्चित है जिससे एक वाद में अनेक वादी को चलाना असंभव है। वही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(5) के अनुसार अलग–अलग आराजी का एक ही दावा तब लाया जा सकता है जबकि पक्षकारान समान हो। वही 1(स) में वर्णित खसरों में वादीगण सहखातेदार ना होने के बावजूद कोर्ट के समक्ष ले आए।

अतः यह प्रस्तुत वाद विधिक प्रावधानों के सुसंगत ना होने के कारण वादीगण के वाद के पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। अप्रार्थी सं. 37 ता 40 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:57:35 IST
Reason: SelfAttested

(हरिसिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा (सिरोही)

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक– 10/11/2020 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह)
सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा